भाग दो : खण्ड छः
मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन)
काष्ठ नियम, 1973

अधिसूचना क्रमांक है 18-9-73-3-(X)1 दिनांक 2-11-73 मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9, वर्ष 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में खाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम जो कि उक्त घास की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है, अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त नाम : ये नियम मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973, कहलायेंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है "मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9, 1969)"

(ख) 'खण्डीय वन आफिसर" से अभिप्रेत है वह वन आफिसर, जो क्षेत्रीय वन मण्डल का प्रभारी' हो या कोई अन्य आफिसर जिसे कि राज्य सरकार ने उसके समकक्ष घोषित किया हो।

(ग) "उपभोक्ता विक्रय प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत है फुटकर विक्रता द्वारा जारी किया गया विक्रय प्रमाण पत्र जो उसके द्वारा उपभोक्ता को बेची गई इमारती लकडी की मात्रा का प्रमाणीकरण करें।

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न "प्ररूप" ।

(ड) "क्रेता" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या पक्ष, जिसे ऐसी रीति में, विनिर्दिष्ट इमारती लकडी बेच दी गई हो या उसका अन्यथा निर्वतन कर दिया गया हो, जैसा कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 12 के अधीन निर्देश दे;

(च) "परिवहन अनुज्ञा-पत्र" से अभिप्रेत है विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन को के लिये अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञा-पत्र।

3. विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के वास्तविक उपयोग, उपभोग या निस्तार हेतु परिवहन -

(1) कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति विक्रेता द्वारा उपभोक्ता विक्रय प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत उसे बेची गई विनिर्दिष्ट इमारती लकडी को क्रय के स्थान से उस स्थान तक जहाँ कि वह उसके वास्तविक उपभोग या उपयोग के लिये अपेक्षित हो, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन व्यक्तिशः परिवहन कर सकेगा।

(2) विक्रेता/वन आफिसर द्वारा जारी किये गये वन उपज पास, निःशुल्क या सशुल्क निस्तार पास, संराशिदान पास (Commutation Pass) या मनी रहसीद के अधीन आने वाली विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का, उसमे (पास में) विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा तक, परिवहन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तस्समय प्रवृत नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

4. परिवहन अतुज्ञा-पत्र-

(1) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) (ख) तथा (घ) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का परिवहन निम्नलिखित प्रकार के अनुज्ञा-पत्रों द्वारा विनियमित होगा, जो कि अधिकारियों द्वारा ऐसो रीति से जारी किये जावेंगे जैसे कि उनमें से प्रत्येक के सामने वर्णित की गई है।

परिवहन अनुज्ञा के प्रकार (1)	अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी (2)	वे शर्ते जिनके अनुसार अनुज्ञा-पत्र जारी किये जायेंगे। (3)
T-1 विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर परिवहन के लिये जब और आगे परिवहन की आवश्यकता न हो। T-2 विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर परिवहन जब और आगे परिवहन आवश्यकता हो। T-3 विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के परिवहन के लिये।	खण्डीय वन आफिसर या उसके द्वारा किया गया कोई अन्य आफिसर खण्डीय वन आफिसर या उनके द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अन्य आफिसर तदैव	इमारती लकडी की पूर्ण कीमत वसूल होने पर इमारती लकडी की पूर्ण कीमत वसूल होने पर इमारती लकडी की पूर्ण कीमत वसूली पर और अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले आफिसर का इमारती लकडी की प्रमाणिकता के बारे में पूर्ण समाधान होने पर।

परन्तु खंडीय वन आफिसर, यदि उसके पास यह विश्वास काने का कारण हो कि उसके द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत आफिसर उपयुक्त नहीं है, जो वह ऐसा प्राधिकरण तुरन्त रद्द कर देगा।

(2) परिवहन अनुज्ञा-पत्र में मार्ग तथा अवधि को छोड़कर लिखित किसी भी अन्य बात में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा और यह परिवर्तन ऐसे आफिसर द्वारा लिखित में अभिलिखित किये गये पर्याप्त कारणों से ही किया जायेगा जो कि पद में वन क्षेत्रपाल की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो।

(3) पूर्वोक्त प्रकारों में से किसी भी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए आवेदन-पत्र प्ररुप "क" में दिया जायेगा और यथास्थिति खंडीय वन आफिसर या अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत आफिसर को प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तु खण्डीय वन आफिसर या उसके द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये प्रधिकृत अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विनिर्दिष्ट इमारती लकडी, जिसके कि सम्बन्ध में आवेदन दिया है, अवैध रूप से प्राप्त की गई है, या अनुचित रूप से या प्राधिकार के बिना संग्रहीत की गई है तो आवेदक को सुनवाई का ऐसा अवसर देने के पश्चात्, जैसा कि वह परिस्थितियों में उचित समझे, लिखित में आदेश द्वारा ऐसे आवेदन-पत्र को अस्वीकृत कर सकेगा।

परन्तु यह और भी यदि आवेदक उपरोक्त आदेश से व्यथित हो तो आवेदन-पत्र की अस्वीकृत की तारीख से तीस दिन के भीतर वह पद-क्रम में अगले उच्च आफिसर को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। जिसका कि विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) समस्त प्रकार के परिवहन अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होंगे-

(क) विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के प्रत्येक प्रेषण (Consignment) के किसी भी परिवहन साधन द्वारा ले जाते समय उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन अनुज्ञा-पत्र उसके साथ होगा।

(ख) विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का परिवहन केवल उस मार्ग द्वारा ही किया जायेगा जो कि अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट हो और जॉच पड़ताल के लिये उन्हें ऐसे स्थान पर या स्थानों पर पेश काना होगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया / किये जायें।

(ग) खण्डीय वन आफिसर या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये आफिसर की लिखित अनुज्ञा (Permission) के बिना सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय से पूर्व किसी भी समय विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का परिवहन नहीं किया जायेगा:

(घ) अनुज्ञा-पत्र ऐसी कालावधि के लिये विधिमान्य होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये।

(ड) परिवहन अनुज्ञा पत्र ऐसे आफिसर द्वारा जो पद में ऐसा अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले आफिसर की श्रेणी का या उससे ऊपर की श्रेणी का हो, एतदद्वारा रद्द किये जाने योग्य होगा, यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि उसका दुरुपयोग किया गया है या उसके दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है।

(च) समस्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र, विनिर्दिष्ट ऐसी इमारती लकडी के परिवहन करने के पश्चात् या उसमें वर्णित कालावधि का अवसान होने के पश्चात्, जो भी पूर्ववर्ती हो, पन्द्रह दिन के भीतर समीपस्थ वन क्षेत्रपाल के पद के या उससे उच्च पद के वन आफिसर को, अभिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् वापिस कर दिये जायेंगे।

5. विनिर्दिष्ट इमारती लकडी को उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण –

(1) राज्य सरकार को छोड़कर विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का प्रत्येक उगाने वाला, यदि उसके द्वारा उगाई गई विनिर्दिष्ट इमारती लकडी की मात्रा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई मात्रा के अधिक हो, तो स्वयं को अधिनियम की धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करायेगा।

विनिर्दिष्ट इमारती लकडी (1)	मात्रा (2)
(1) सागौन (Tectona grandis)	30 सेमी. या उससे ऊपर की गोलाई का एक वृक्ष
(2) साल, बीजा, शीशम ..... (Shorea robu'sta, Pterocarpus marsupium, Dalbergia Spp)	60 सेमी या उससे ऊपर की गोलाई का एक वृक्ष

(2) उगाने वाला उसके क्षेत्र में, जमीन पर उत्तम खम्भ लगाकर सीमांकन करेगा और भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 वर्ष 1959) के उपबन्धों के अधीन कटाई किये जाने के लिये अनुज्ञेय तथा बेचें जाने के आशयति विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के समस्त वृक्षों को अनुक्रमांकित करेगा और उनकी गोलाई की नाप, वृक्ष की छाती ऊँचाई पर (अर्थात जमीन की सतह से 135 सेन्टी मीटर पर) करेगा तथा इस प्रकार तैयार की गई एक सूची रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा। विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के उगाने वालों के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन प्ररूप "ख" में होगा और उस परिक्षेत्र आधिकारी (Range Officer) के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसके कि अधिकारिता के भीतर उगाने वालों की वह भूमि स्थित है जिसपर कि विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के वृक्ष उगते है। परिक्षेत्र अधिकारी (Range Officer) सम्बन्धित पटवारी के साथ, स्थल पर सम्यक् सत्यापन करने के पश्चात् आवेदन को उसकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर खण्डीय वन आफिसर या खंडीय वन आफिसर के कार्यालय में पदस्थ सम्बद्ध उस आफिसर को जिसे खंडीय वन आफिसर द्वारा इस विषय में प्राधिकृत किया गया हो, अग्रेषित करेगा, जो ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, प्ररूप "ग" में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर कर सकेगा या आवेदन-पत्र को उसके लिये कारण अभिलिखित करने के पश्चात नामंजूर कर सकेगा।

(3) एक बार जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र उस समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट इमारती लकडी बेची जाती है या वह खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक द्वारा उसके द्वारा लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से रद्द (Cancelled) या उपान्तरित (Modified) न किया जाये, या उस समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि आवेदक उस भूमि का, जिसके कि सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किया है, स्वामी रहता है, इसमें से जो भी पूर्वतर होगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20 वर्ष 1959) या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों की अध्यपेक्षाओं (requirements) के अतिरिक्त होगा।

(5) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमापा-पत्र गुम हो जाये या विकृत हो जाये तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, दस रुपया चुकाने पर, खंडीय वन आफिसर या उनके राजपत्रित सहायक से प्राप्त की जा सकेगी। विकृत हो गये (Mutilated) प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जा सकेगी। विकृत हो गये (Mutilated) प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करते समय, पूर्व के प्रमाण-पत्र को, ऐसी प्रति जारी करने वाला आफिसर नष्ट कर देगा, और ऐसे किये जाने बावत् प्रमाण-पत्र लिखेगा।

6. अस्वीकृत इमारती लकडी के गारे में जाँच की प्रक्रिया-

(1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, जांच करने वाला आफिसर यथा-सम्भव शीघ्र सम्बन्धित पक्ष या पक्षों को, सूचना की तामीली द्वारा जॉच करने के लिये नियत किया गया स्थान, तारीख तथा समय प्रज्ञापित करेगा ।

(2) नियत स्थान पर तथा नियत तारीख पर या किसी ऐसी पश्चातवर्ती तारीख पर जिसके लिये जांच स्थगित की जाये, ऐसा आफिसर, उन पक्षों की या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधियों की जो कि उसके समक्ष उपस्थित हो, सुनवाई करने के पश्चात और एसी जांच के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे, धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु पारित किये गये आदेशो से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश करने वाले अधिकारी के पदक्रम में अगले उच्च अधिकारी को आदेश पारित किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अपील अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) यदि पक्षकार या पक्षकारगण, जैसी भी स्थिति हो, या तो स्वयं या उनके प्रतिनिधि, उसके मुख्त्यारनामे के साथ (Power of Attorney) उपस्थित (Appear) न हों, जो जॉच आफिसर ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी कि यह आवश्यकता समझे, एकपक्षीय विनिश्चय करेगा :

परन्तु एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, आवेदक, का आवेदन प्राप्त होने पर, यदि जॉच आफिसर का समाधान हो जाये कि पक्षकार पक्षकारगमों के उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था, तो यह ऐसी जांच के पश्चात् जैसी उचित समझें, एकपक्षीय आदेश को अपास्त (Set-a-side) करते हुए यथोचित आदेश पारित करेगा :

परन्तु यह और भी कि जहाँ एक पक्षीय आदेश करने हेतु आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया जाये, वहां आवेदन-पत्र नामंजूर किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, पदक्रम में अगले उच्च आफिसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी और जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

7. विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण -

(1) प्रत्येक विनिर्माता जो विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा प्रत्येक व्यापारी और उपभोक्ता जिसका, यथास्थिति, वार्षिक उपयोग, आवश्यकता या उपभोग नीचे दी गई अनुसूची में दी गई मात्रा से अधिक हो, विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के अपने स्टाक की घोषणा प्ररूप "घ" में करेगा और, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाएगा :-

अनुसूची

वह न्यूनतम मात्रा जिसके कि लिये विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण होना आवश्यक है तथा विनिर्माताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिये वार्षिक फीस –

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है			वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क	
व्यापारी (1)	उपभोक्ता (2)	विनिर्माता तथा उपभोक्ता (3)	व्यापारी (4)	उपभोक्ता (5)
(क) भवन निर्माण ठेकेदार के लिये घन मीटर (ख) बढई की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, के लिए 1 घन मीटर (ग) विनिर्माता/व्यापारी के लिये, 1 घन मीटर।	वास्तविक प्रयोजनों के लिए 10 घन मीटर	रूपये 1000/-	(क) भवन निर्माण ठेकेदार के रूपये 1000 (ख) बढई की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, के लिए रूपये 200/- (ग) केवल व्यापारी के लिये रूपये 100/-	वास्तविक उपभोक्ता रूपये 200/-

टीप :-

(1) आवेदन के साथ उपरोक्त दर पर वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, किसी व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता को उसके द्वारा ऐसी कालावधि के लिए शुल्क संदत्त किए जाने पर एक या दो या तीन वर्ष के लिये रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण की कालावधि के दौरान, यदि व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता के विरूद्ध कोई अनियमितता अथवा वन अपराध पंजीबद्ध किया जाता है तो पूर्वोक्त कालावधि के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया

जाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क, वन मण्डल के भारसाधक अधिकारी द्वारा समुचित आदेश जारी कर, राजसात कर लिया जाएगा।

(3) यदि व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता, वनमण्डल के भारसाधक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट न हो तो, वह वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी को एक माह की कालावधि के भीतर अपील कर सकेगा। वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

---

(4) अधिसूचना क्र. एफ-25-17-2009 दस दिनांकित 21.11.2012 अनुसार प्रस्थापित एवं दि. 21.11.2012 से प्रवृत्त।

---

[1](2) धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन प्ररूप 'ड' में होगा और उस वन [1]मंडल के भार साधक अधिकारी खंडीय आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता निवास करता हो या उसके कारबार का मुख्य स्थान (Head Office) स्थित हो । यदि विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता मध्य प्रदेश राज्य के बाहर निवास करता हो तो वह अपना आवेदन पत्र विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी वन मण्डल के भारसाधक अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा। वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम में जमा की जायेगी और इस साक्ष्य की, कि रकम जमा कर दी है, प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। वन मण्डल के भारसाधक अधिकारी या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया कोई आफिसर, एसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, प्ररूप 'च' में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगा या आवेदन पत्र को उसके लिये कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अस्वीकृत कर सकेगा :

परन्तु ऐसे आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश देने वाले अधिकारी से पदक्रम में अगले उच्च अधिकारी को 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा जो सम्बन्धित पक्षकार या पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित करेगा जो उपयुक्त समझे। अपील अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण उस कैलेन्डर वर्ष के लिये विधिमान्य होगा जिसके कि लिये रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

(4) विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी तथा उपभोक्ता, विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के लेखाओं का रजिस्टर रखेगा तथा वह इन लेखाओं की विवरणी वन मण्डल के भारसाधक अधिकारी को ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो कि आफिसर द्वारा समय-समय पर विहित की जावे।

(5) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाये या विकृत हो जावे तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि (Certified copy) वन मण्डल के भारसाधक अधिकारी को प्रत्येक प्रमाण-पत्र नष्ट कर दिया जायेगा तथा इस बात का विवरण नवीन प्रमाण-पत्र में दिया जावेगा।

(6) विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के ऐसे विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जिसमें कि अधिनियम, इन नियमों या राज्य सरकार के साथ किये गये किसी करार की शर्तो का ऐसा भंग किया हो, जिसके कि परिणामस्वरूप या तो उसे अधिनियम की धारा 16 के अधीन दण्डित किया गया हो या उसका करार पर्यवसित (समाप्त) (Terminated) कर दिया हो, वन मण्डल के भारसाधक अधिकारी द्वारा रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा और यथास्थिति, ऐसे विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता का रजिस्ट्रीकरण ऐसी और कालावधि के लिये, जो कि तीन वर्ष, तक हो सकती है, अस्वीकृत किया जा सकेगा:

परन्तु यदि संबंधित विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का विनिर्माता, उपभोक्ता या व्यापारी उपरोक्त आदेश से व्यथित हो, तो वह आदेश जारी किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संबंधित वनसरकल के भार साधक अधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि संबंधित वन सरकल का भार साधक अधिकारी लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से पूर्व वर्ती परन्तुक में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

---

1. कंडिका 7(2) अधि. क्र. एफ 26.9.2006 दस-35 दिनांक 29.10.09 द्वारा संशोधित । म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 6.11.09 पृष्ठ 667-668 पर प्रकाशित।

---

(8) विक्रय प्रमाण-पत्र – राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत आफिसर जो क्रेता को विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का विक्रय या परिदान करता है उसे प्ररूप "छ" में विक्रय प्रमाण-पत्र देगा। यदि विक्रय प्रमाण पत्र गुम हो जाये या विकृत हो जाये, तो पांच रूपये का भुगतान किये जाने पर उसकी दूसरी प्रतिलिपि संबंधित खंडीय वन आफिसर द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात् जारी की जावेगी। ऐसे व्यक्ति से, जो यह दावा करे कि उसने धारा 12 के अधीन राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का क्रय किया है, किसी वन, या पुलिस अधिकारी (जो कि सहायक सब-इन्स्पेक्टर के पद से निम्न न हो) के द्वारा मांग किये जाने पर अपने दावे के समर्थन में विक्रय प्रमाण-पत्र पेश करेगा। विक्रय प्रमाण-पत्र पेश न किये जाने की स्थिति में उसका दावा प्रतिग्रहीत नहीं किया जावेगा और ऐसा स्टाक, जिसके संबंध में उसने राज्य सरकार से क्रय करने का दावा किया है, यदि विक्रय प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित न हो, तो वह राज्य सरकार की सम्पत्ति समझा जावेगा और वन या पुलिस आफिसर द्वारा उसे कब्जे में लिया जा सकेगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति, वन या पुलिस आफिसर द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट इमारती लकडी को कब्जे में लेने से पन्द्रह दिन के भीतर खंडीय वन आफिसर के समक्ष राज्य सरकार से ऐसा स्टाक क्रय किये जाने के समर्थन में उक्त खंडीय वन आफिसर को समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करे, तो वन या पुलिस आफिसर द्वारा इस प्रकार कब्जे में ली गई इमारती लकडी को खंडीय वन आफिसर द्वारा छोड दिया जायेगा।

(9) विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिये अनुज्ञप्ति की मंजूरी –

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के फुटकर विक्रय के कार्य में अपने को लगाने का इच्छुक हो, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-पत्र प्रारूप "ज" में होगा, जो प्रत्यके प्ररूप के लिये एक रूपये की देनगी पर खंडीय वन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा।

(3) आवेदन पत्र खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, जो ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे, या तो वह आवेदन पत्र को उसके लिये कारण लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् स्वीकार कर सकेगा या आवेदक को इन नियमों के अधीन विहित वार्षिक शुल्क जमा करने के लिये निर्देश दे सकेगा।

(4) वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्न तालिका अनुसार होगी :

अपेक्षित वार्षिक विक्रय (1)	वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस (2)
(क) 10 घ.मी. तक	5/- रूपया
(ख) 10 से 50 घ.मी. तक	5/- रूपया
(ग) 50 से 100 घ.मी. तक	5/- रूपया
(घ) 100 घ.मी. से अधिक	5/- रूपया

(5) आवेदक, खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक द्वारा निर्देशित किये गये अनुसार वार्षिक फीस भेजेगा और ऐसे आदेश पारित किये जाने के सात दिन के भीतर, यह साक्ष्य कि रकम जमा कर दी है, प्रस्तुत करेगा।

(6) वार्षिक फीस की रकम जमा किये जाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने पर खंडीय वन आफिसर या उसका राजपत्रित सहायक प्ररूप "झ" में अनुज्ञप्ति मन्जूर करेगा।

(7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के लेखाओं का रजिस्टर रखेगा और संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी (Range Officer) को स्टाक की विवरणी ऐसे प्ररूपों में और ऐसी तारीखों को, जो कि सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा विहित की जाये प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि अनुज्ञप्ति गुम हो जाये तो या विकृत हो जाये, तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि खण्डीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक से, प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिए जांच रूपये चुकाने पर प्राप्त की जा सकेगी।

(9) यदि विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम, इन नियमों; अधिनियमों और नियमों के अधीन राज्य सरकार के साथ किये गये करार की शर्तो, यदि कोई हो, कि किन्ही भी उपबन्ध का ऐसा भंग किया जाये जिसके कि परिणामस्वरूप या तो उसे धारा 16 के अधीन दण्डित किया गया हो या उसका करार पर्यवसित (Terminate) कर दिया गया हो, तो उसकी अनुज्ञप्ति, खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक द्वारा (यदि उसे खंडीय वन अधिकारी द्वारा लिखित में इस हेतु प्राधिकृत किया गया हो), रद्द किये जाने के दायितवाधीन होगी, और ऐसे व्यक्ति को कम के कम 3 वर्ष तक किन्तु 7 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिये अनुज्ञप्ति अस्वीकृत की जा सकेगी :

परन्तु यदि संबंधित विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का अनुज्ञप्ति धारी उपरोक्त आदेश से व्यथित हो तो वह संबंधित वन संरक्षक को ऐसे ओदश की तारीख से तीस दिन के भीतर, अपील कर सकेगा:

परन्तु यह और भी, कि ऐसा अपीलीय प्राधिकारी, लिखित में दिये जाने वाले पर्याप्त कारणों से पूर्ववर्ती उपबन्ध में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का, किसी भी उपभोक्ता को, वास्तविक उपयोग के लिये फुटकर में पांच घन मीटर तक विक्रय करेगा और पांच घन मीटर से अधिक का किसी रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता को ही फुटकर में विक्रय करेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे कि विनिर्दिष्ट इमारती लकडी बेची गई हो, प्ररूप "ड" में उपभोक्ता विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिसे क्रेता ऐसी इमारती लकडी के परिवहन करते समय तथा अन्तिम उपयोग तक धारित करेगा।

टिप्पणी –

(1) वन मण्डलाधिकारी धारा 7(2) के अन्तर्गत "विनिर्माता" का रजिस्ट्रीकरण करने के लिये प्राधिकृत है। उसका यह अधिकार प्रशासनिक आदशों से समाप्त नहीं होगा।

(हरबन्स लाल वि. म.प्र. शासन M.P.L.J. 1983 S.N.7)

(2) नियम 8 में शब्द "ऐसा स्टाक जो वह क्रय करने का दावा करता है" में वह समस्त स्टाक सम्मिलित नहीं किया जा सकता जो व्यक्ति के कब्जे में पाया जाये। केवल विक्रय प्रमाण-पत्रों के अन्तर्गत क्रय इमारती लकडी ही इस धारा में आती है।

(कमलेश कुमार वि. म.प्र. शासन A.I.R. 1985 M.P. 130 M.P.L.J. 72)

परिवहन अनुज्ञा-पत्र (टी-1)

(नियम 4(1) देखिये)

टी-1. विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर परिवहन के लिये, जब और आगे परिवहन की आवश्यकता न हो।

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(क) उद्गम का स्थानीय क्षेत्र .....

(ख) स्वामी का नाम एवं पता .....

(रजिस्ट्रीकरण क्रमांक सहित) .....

(ग) इमारती लकडी का विवरण तथा मात्रा .....

(घ) इमारती लकडी पर हथौडे का निशान .....

(ङ) कैसे क्रय की गई, और क्या इमारती .....

लकडी की पूरी की कीमत चुकाई गई .....

है ब्यौरे दीजिये .....

(च) उस स्थान का नाम जहां ....

इमारती लकडी का परिवहन .....

किया जाना है ....

(छ) परिवहन की रीति ....

(ज) परिवहन का मार्ग ....

(झ) वे डिपो, जहां पर इमारती ....

लकडी जांच पडताल के लिये ....

पेश की जायेगी ....

(ञ) अनुज्ञा-पत्र पर्यवसित होने .....

की तारीख ....

कार्यालय की मुद्रा

जारी करने वाले प्राधिकारी
के हस्ताक्षर

परिवहन अनुज्ञा-पत्र (टी-2)

(नियम 4(1) देखिये)

विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर परिवहन के लिये, जब और आगे परिवहन की आवश्यकता हो।

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(क) उद्गम का स्थानीय क्षेत्र .....

(ख) स्वामी का नाम एवं पता .....

(रजिस्ट्रीकरण क्रमांक सहित) .....

(ग) इमारती लकडी का विवरण तथा मात्रा .....

(घ) इमारती लकडी पर हथौडे का निशान .....

(ङ) कैसे क्रय की गई, और क्या पूरी .....

कीमत चुकाई गई है ब्यौरे दीजिये .....

(च) उस वनखंड का नाम व स्थान ....

जहां इमारती लकडी संग्रहीत की जावेगी .....

(छ) परिवहन की रीति ....

(ज) परिवहन का मार्ग ....

(झ) वे डिपो, जहां पर इमारती ....

लकडी जांच पडताल के लिये ....

पेश की जायेगी ....

(ञ) अनुज्ञा-पत्र पर्यवसित होने .....

की तारीख ....

कार्यालय की सील

जारी करने वाले आफिसर
के हस्ताक्षर

परिवहन अनुज्ञा-पत्र (टी-3)

(नियम 4(1) देखिये)

विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर परिवहन के लिये

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(क) उद्गम का स्थानीय क्षेत्र .....

(ख) स्वामी का नाम एवं पता .....

(रजिस्ट्रीकरण क्रमांक सहित) .....

(ग) इमारती लकडी का विवरण तथा मात्रा .....

(घ) इमारती लकडी पर हथौडे का निशान .....

(ङ) कैसे क्रय की गई, और क्या पूरी .....

कीमत चुकाई गई है ब्यौरे दीजिये .....

(च) उस स्थान का नाम जहां ....

इमारती लकडी का परिवहन .....

किया जाना है ....

(छ) परिवहन की रीति ....

(ज) परिवहन का मार्ग ....

(झ) वे डिपो, जहां पर इमारती ....

लकडी जांच पडताल के लिये ....

पेश की जायेगी ....

(ञ) अनुज्ञा-पत्र पर्यवसित होने .....

की तारीख ....

कार्यालय की मुद्रा

जारी करने वाले प्राधिकारी

के हस्ताक्षर

प्ररूप ''क''

परिवहन अनुज्ञा-पत्र की मन्जूरी के लिये आवेदन पत्र का प्ररूप

(क) आवेदक का नाम . .....

(ख) खंड या स्थान जहां से विनिर्दिष्ट .....

इमारती लकडी क्रय की गई है .....

(ग) क्रय की तारीख तथा रीति . ...

(घ) क्रय की गई इमारती लकडी के ब्यौरे ....

हथौडे का निशान तथा विवरण .....

(ङ) उस इमारती लकडी के ब्यौरे जिसके .....

लिये अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है .....

(च) अपेक्षित अनुज्ञा-पत्र का प्रकार ....

(छ) कालावधि जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र ....

विधिमान्य होना अपेक्षित है ....

(ज) गंतव्य स्थान, जहां से और ....

जहां तक विशिर्दिष्ट इमारती ....

लकडी का परिवहन किया जाना है ....

(झ) परिवहन की रीति ....

(ञ) वे मार्ग जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट ....

इमारती लकडी का परिवहन किया जाना है ....

(ट) वे स्थान, जहां पर परिवहन की गई ....

विनिर्दिष्ट इमारती लकडी उपभोग/व्यापार ....

विनिर्माण के कार्य में लाई जावेगी ....

सरकार से विनिर्दिष्ट इमारती लकडी क्रय करने का साक्ष्य, जो निम्न है, साथ संलग्न है।

.....

स्थान .....

दिनांक ..... आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप "ख"

(नियम 5(2) देखिये)

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी को उगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र।

(क) आवेदक का नाम . .....

(ख) आवेदक के पिता का नाम .....

(ग) ग्राम तथा पटवारी हल्का क्र.. .....

(घ) तहसील ....

(ङ) थाना .....

(च) उन भू-खण्डों की स्थिति, क्षेत्र तथा ....
सर्वेक्षण नम्बर जिन पर विनिर्दिष्ट ....
इमारती लकड़ी उगाई गई है (क्षेत्र ....
के खसरे एवं नक्शें की प्रमाणित .....
प्रति संलग्न की जायें) ....

(छ) क्या उस क्षेत्र जिस पर विनिर्दिष्ट वनोपज ....
उगाई गई है, का सीमांकन हुआ है .....

(ज) क्या विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के ....
वृक्षों को, जिनके लिये रजिस्ट्रीकरण .....
अपेक्षित है, अनुक्रमांकित किया गया है .....
और म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 और .....
उनको लागू होने वाले नियमों के उपबन्धों .....
के अधीन उनकी कटाई एवं विक्रय किया .....
जाना अनुज्ञेय हैं । इससे संबंधित प्रमाण .....
संलग्न किया जाये .....

(झ) विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के उन वृक्षों ....
का विवरण जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण .....
अपेक्षित है-सूचित किया जाये .....

स्थान .....

दिनांक ..... आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन की अन्त:वस्तु की जांच मैंने कर ली है और वह सही है।

प्रति हस्ताक्षर तहसीलदार पटवारी के हस्ताक्षर

एवं सत्यापित एवं उप-खंडीय वन आफिसर .....

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित .....

..... परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी

कालम (झ) में वांछित सूची के प्रपत्र

ग्राम	सर्वेक्षण क्रमांक	प्रजाति	अनुक्रमांक	छाती ऊँचाई पर गोलाई (से.मी.)	टिप्पणियां

प्ररूप ''ग''

(नियम 5(2) देखिये)

उगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण ..... क्रमांक ..... वर्ष .....

(1) उगाने वाले का नाम .....

तथा उसके पिता का नाम .....

(2) निवास स्थान का पूरा पता .....

(3) उस ग्राम का नाम जहां पर ....

विनिर्दिष्ट इमारती लकडी उगाई .....

गई है (पटवारी हल्का क्र. सहित) .....

(4) पुलिस थाना .....

(5) जिला .....

(6) क्षेत्र में उगाई इमारती लकडी के ब्यौरे ....

प्रजाति	छाती ऊँचाई पर गोलाई	वृक्षों की संख्या	टिप्पणियां

कार्यालय की मुद्रा

हस्ताक्षर खण्डीय वन आफिसर

प्ररूप ''घ''

विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माता, व्यापारी, उपभोक्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम ..... एतदद्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के जिला ..... राज्य ..... में कार्यरत वास्तविक विनिर्माता/व्यापारी हूं/हैं। मेरे/हमारे कारबार के ब्योरे निम्नानुसार हैं -

(1) उस व्यक्ति या फर्म या कम्पनी का नाम .....
जिसके नाम से कारबार चलाया जाता है। .....

(2) फर्म या कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

(3) कारबार के उन केन्द्रों के नाम .....
जिनमें कि या तो कार्यालय हो या डिपो हो .....

1. .....
2. .....
3. .....

(4) घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय प्रत्येक डिपो में विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी का वर्तमान स्टाक -

संग्रहण केन्द्र का नाम (1)	प्रजाति (2)	मात्रा (3)

(5) वह व्यापार, जिसके लिये विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है या उसको किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

(6) पूर्व के दो वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष विनिर्मित, ऐसे तैयार माल की मात्रा, जिसके कि विनिर्दिष्ट इमारती लकडी को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया गया है तथा उपयोग में लाई गई विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी की मात्रा -

वर्ष (1)	तैयार माल की मात्रा (2)	उपयोग में लाई गई विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी की मात्रा (3)

(7) आगामी वर्ष के दौरान तैयार माल की अनुमानित मात्रा और उसके लिये विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी की अनुमानित आवश्यकता .....

(क) अनुमानित तैयार माल .....

(ख) विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी की अनुमानित ..... आवश्यकता/मात्रा।

(8) पूर्व के दो वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात की ..... गई विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी की मात्रा –

वर्ष (1)	निर्यात का स्थान (2)	मात्रा (3)
1.	1. .... 2. .... 3.	....
2.	1. .... 2. .... 3.	....

(9) आगामी वर्ष के दौरान अनुमानित निर्यात (मात्रा) ..... में यह और घोषित करता हूं कि मैने मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध पढ. लिये है तथा समझ लिए है।

उपर दिये गये समस्त ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और उसके प्रमाण के साक्ष्य पेश करूगा।

स्थान ....

विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की तारीख ..... । ..... को (आफिसर) को ..... (स्थान) ..... पर दो प्रतियों में प्रस्तुत की गई।

.....

विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप "ड."

(नियम 7(2) देखिये)

धारा 11 के अधीन विनिर्दिष्ट इमारती लकडी क विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र

(1) आवेदन का नाम उसके पिता का नाम .....
तथा पता .....
यदि रजिस्ट्रीकृत फर्म या कम्पनी हो तो फर्म .....
या कम्पनी का नाम उसका रजि. क्र. .....
रजिस्ट्रीकरण का वर्ष, मुख्तारनामा धारण .....
करने वाले व्यक्ति का नाम .....
तथा पता .....

(2) कारोबार का स्थान/मुख्यालय/प्रधान कार्यालय, ...
की स्थिति, ग्राम/नगर, तहसील, पुलिस थाना, जिला।

(3) विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के व्यापार की .....
विशिष्टियां (मात्रा) .....

(क) प्रतिवर्ष बच्चे माल के रूप में प्रयुक्त औसत मात्रा और/या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के बाहर प्रतिवर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट इमारती लकडी की औसत मात्रा तथा तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट इमारती लकडी की मात्रा।

वर्ष	मात्रा
20	.....
20	.....
20	.....

(ख) विनिर्माता की दशा में व्यापार, चिह्न, यदि, कोई .....
हो तथा व्यापारी की दशा में उस स्थान का नाम
था उन स्थानों के नाम जहाँ विनिर्दिष्ट इमारती
लकडी का निर्यात किया जाता है।

(ग) विनिर्दिष्ट इमारती लकडी की अनुमानित वार्षिक
आवश्यकता .....

1. लकडी से बना वस्तुओं के निर्माण के लिये कच्चे .....
माल के रूप में उपयोग हेतु।
2. राज्य के बाहर निर्यात के प्रयोजन हेतु

(घ) उन डिपो के स्थान या स्थानों के नाम जहाँ आवेदक .....
की विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का स्टाक भंडारित किया जाता है। .....

(ङ) वह रीति, जिसमें कि उपरोक्त अभिप्राप्त किया जाता है .....

(4) आवेदक .....

1. विनिर्माता .....
2. व्यापारी .....
3. उपभोक्ता के रूप में कब से कार्य करता है .....

(5) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनको कि आवेदन-पत्र के ब्यौरे के सत्यापन के लिये निर्देश किया जा सके।

नाम, पता (1) .....

(2) .....

(6) विनिर्दिष्ट इमारती लकडी की मात्रा जिसके लिये रजिरुट्रीकरण अपेक्षित हैं। .....

(7) वर्ष जिसके लिये रजिरुट्रीकरण अपेक्षित हैं।

(8) क्या आवेदक पूर्व में रजिरुट्रीकृत किया गया था और यदि ..... ऐसा है तो किस वर्ष में तथा किस खंड मैं और विनिर्दिष्ट ..... इमारती लकडी की कितनी मात्रा के लिये।

(9) कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक इस साक्ष्य के रूप में देना चाहे कि वह विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का वास्तविक पिनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता है। .....

(10) ..... रुपये रजिरुट्रीकरण कीस के संदाय का साक्ष्य।

स्थान .....

तारीख ..... आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप 'च'

(नियम 7(2) देखिये)

विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र :

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स/श्री ..... आत्मज ..... निवासी ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... को मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रूप में वर्ष ..... के लिये रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के लिये व्यवसाय में प्रतिवर्ष विनिर्दिष्ट इमारती लकडी की अनुमानित मात्रा लगभग ..... है जो निम्नलिखित स्थानों में संग्रहीत है :

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

खंडीय वन आफिसर

खण्ड .....

कार्यालय की मुद्रा

दिनांक .....

प्ररूप 'छ'

(नियम 8 देखिये)

विक्रय का प्रमाण-पत्र :

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... वनमण्डल के डिपो ..... में दिनांक ..... को हुए नीलाम में विवरण अनुसार वन उपज श्री/मेसर्स ..... को बेची गई।

वन उपज का विवरण .....

लाट/फडी क्रमांक .....

लकडी की संख्या/मात्रा/क्विंटल में .....

लकडी की गोलाई वर्ग .....

आयतन (घ. मी. में) .....

विक्रय मूल्य .....

विक्रय कर राशि (प्रतिशत की दर) .....

कुल राशि .....

बैंक ड्राफ्ट क्रमांक म. ई. क्रमांक/दिनांक .....

कोषालय का नाम तथा चालान नं. एवं दिनांक .....

हथौडे का निशान (केवल इमारती लकडी के लिये) .....

वन उपज का विवरण .....

.....

दिनांक ..... शासकीय आफिसर के हस्ताक्षर

प्ररूप 'ज'

(नियम 9(2) देखिये)

विनिर्दिष्ट इमारती लकडी ..... के अनुज्ञप्तिधारी के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम तथ उसके पिता का नाम .....
   (फर्म के मामले में, फर्म के नाम से कार्य करने
   वाले भागीदारों और मुख्तारनामा धारण करने
   वाले व्यक्ति का नाम सहित फर्म का नाम दीजिए।
   (मुख्यतारनामे की एक प्रति संलग्न की जावे)
2. पूरा पता .....
3. वृत्ति (Profession) .....
4. कारोबार का/के स्थान .....
5. विनिर्दिष्ट इमारती लकडी की मात्रा .....
   जिसके लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया।
6. प्रत्याशित वार्षिक आवश्यकता ..... प्रजाति मात्रा घ.मी.
   .....
   .....
7. निजी सम्पत्ति के ब्यौरे सहित वित्तीय परिस्थिति .....
8. उक्त विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के व्यापार का पूर्व अनुभव .....
9. स्थान जिसके लिये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिया है .....
10. आवेदन फीस संदाय का साक्ष्य। .....
11. वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस संदाय का साक्ष्य .....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हमने मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं सब उपबन्धों को पढा तथा समझा लिया है। अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के भंग की दशा में मैं/हम विहित की गई रीति में दण्डित किया जा सकूगा/किये जा सकेंगे। उपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में सही है।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप 'झ'

(नियम 9(6) देखिये)

विनिर्दिष्ट इमारती लकडी के फुटकर विक्रय के लिये अनुज्ञप्ति

(मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के नियम 9(6) के साथ पठित मध्य प्रदेश (वन उपज) (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अनुसार।

1. अनुक्रमांक .....
2. (कालावधि) जिसके लिये विधिमान्य हो .....
3. अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पूरा पता .....
4. वह स्थान या वे स्थान जहां फुटकर विक्रय ..... किया जाना अनुज्ञात है।
5. उस विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का नाम .....
   (1) .....
   (2) .....
   (3) .....
6. ऐसी प्रत्येक विनिर्दिष्ट इमारती लकडी की मात्रा ..... जिसकी कि वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय हेतु व्यापार किया जाना हो -
   (1) .....
   (2) .....
   (3) .....

टिप्पणी – उपर वर्णित अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों का कोई भंग होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।

मेरे हस्ताक्षर से तथा मुद्रा
लगाकर जारी की गई

(मुद्रा) .....

राजपत्रित सहायक/खण्डीय वन आफिसर

प्ररूप 'ञ'

(नियम 9(11) देखिये)

उपभोक्ता विक्रय प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

फुटकर अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

विक्रय का स्थान .....

(क) फुटकर विक्रेता/अभिकर्त्ता का नाम .....

(ख) उपभोक्ता का नाम तथा पता .....

(ग) उस विनिर्दिष्ट इमारती लकडी का .....

विवरण जो उपभोक्ता को बेची गई .....

और उसके लिये प्रमाणित रकम। .....

(घ) बेची गई इमारती लकडी पर हथौडे का चिह्न .....

(ङ) उस स्थान का नाम जहां इमारती लकडी .....

का परिवहन किया जाना है। .....

(च) वह मार्ग जिससे इमारती लकडी .....

का परिवहन किया जाना है। .....

(छ) उस डिपो का नाम जहां इमारती लकडी .....

(ज) जांच हेतु पेश की जावेगी । .....

(झ) पास जारी करने वाले फुटकर विक्रेता ..... के हस्ताक्षर।

नोट : जब इमारती लकडी शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा में परिवहन की जावे तो (घ), (ङ), (च), (छ) लागू नहीं होगे।

भाग दो : खण्ड सात

स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, लकड़ी के कोयले की

नीलामी में विक्रय की शर्तो को विनियमित करने वाले नियम : वर्ष 89

वन विभाग, भोपाल दि 30.5-89 क्र. 2343/2751-दस-3-89 स्थापित डिपो से इमारती लकडी, जलाऊ लकडी के कोयले की नीलामी में विक्रय की शर्तों के विनियमित करने वाले नियम निम्नानुसार हैं-

नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता हैं कि संलग्न सूची के अनुसार विभागीय रूप से काटी गई और/या संग्रहीत की गई इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/तथा/या संग्रहित लकडी के कोयले के विभिन्न लाटों का विक्रय वन मण्डलाधिकारी ..... वनमण्डल ..... द्वारा ..... स्थान पर दिनांक ..... को ..... बजे से आरंभ करते हुए और यदि आवश्यक हुआ तो अगले दिनों ..... बजे से ..... बजे तक सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जावेगा।

नीलामी के समय घोषित या अनुरोध पर पूर्व में उपलब्द कराई गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, लकडी के कोयले के मापों, मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे वन मण्डलाधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं किन्तु उनकी सही होने की किसी सीमा तक गारण्टी नहीं है । इस लिये बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपना समाधान करने की दृष्टि से उस लाट या उन लाटों का जिसके लिये/जिनके लिये वे बोली लगाना चाहते हैं, स्थल पर निरीक्षण कर लें।

अनुरोध करने पर लाटों और मापों के ब्यौरे, उप वन मण्डलाधिकारी/परिक्षेत्र अधिकारी/डिपो अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। यदि बाद में मात्रा आदि के ब्यौरे गलत पाये जावें जो राज्य शासन के विरूद्ध मुआवजे या अन्य किसी राहत के लिये कोई भी दावा नही होगा।

1(क) किसी भी व्यक्ति को नीलाम में किसी लाट के लिए बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि उसने शर्तों का पालन करने के प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर हस्ताक्षर न का दिये हों और प्रत्येक लाट परबोली लगाने के पूर्व, उस राशि के जितने की वह बोली लगाना चाहता है, 10 प्रतिशत के बराबर या एक हजार रूपये, इनमें से जो भी अधिक हो, कि बयाने की राशि जमा न की हो। बोली लगाने वालों को यह अनुमति दी जावेगी कि वह नीलामी के दौरान पहिले ही जमा की गई 10 प्रतिशत राशि द्वारा अनुमति सीमा से अधिक की बोली लगाना चाहते हों तो बयाने की राशि में और राशि जमा कर सकें।

(ख) असफल बोली लगाने वालों के मामले में, बयाने की जमा रकम, नीलाम समाप्त होने पर, उन्हें उसके लिए सम्यक् रूप से टिकट लगी रसीद प्रस्तुत करने पर वापस लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदारों के मामलें में यह रकम, लाट के लिये बोली गई राशि के 25 प्रतिशत के भुगतान में जैसा शर्त 2(क) के अधीन अपेक्षित है, समोजित कर ली जावेगी।

2(क)(एक) बोली स्वीकृत होने के तत्काल बाद या नीलाम की तारीख से 7 दिन के अन्दर, जैसा भी वन मण्डलाधिकारी द्वारा स्वविवेक से अनुमत किया जावे, सफल बोलीदार को और रकम का, जिससे बोली की राशि का 25 प्रतिशत पूरा हो जावे, मांग जमा रसीद (Call deposit Receipt), बैंकर्स चेक या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किये रेखित बैंक ड्राफ्ट (Crossed Bank Draft) द्वारा जो वन मण्डलाधिकारी ..... वन मण्डल के पक्ष में आहरित होगा,

भुगतान करना होगा और ऐसा न करने पर विक्रय रद्द किया जावेगा और उपर्युक्त शर्त 1(क) के अधीन बयाने के रूप में जमा राशि शासन के पक्ष में समपहृत हो जावेगी और चूक कर्ता बोली लगाने वाले की जोखिम के बिना, लाट की पुनः नीलामी की जावेगी।

2(क)(दो) उपरोक्त शर्त 2-क(एक) के अधीन विक्रय रद्द हो जाने की स्थिति में यदि चूक कर्ता बोली लगाने वाला, अनुवर्ती नीलाम में लाट के विक्रय के पूर्व, विक्रय के पुनः प्रवर्तन का निवेदन करे, तो वह संरक्षक, यदि उनका इस बात से समाधान हो जावे कि बोली समुचित तथा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कारण से विहित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था, तो वह सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, उस पर ब्याज, स्थान भाडा तथा विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय का पुनः प्रवर्तन कर सकेगा। उसके पश्चात् इन शर्तो के विभिन्न खण्डों में दी गई विहित अवधियों तथा समय सीमाओं की गणना जो विक्रय को विनियमित करती हो, नीलाम की तारीख से की जावेगी।

वसूल योग्य ब्याज दर तथा उसकी गणना पद्धति नीचे दी गई शर्त 2ख(दो) में दिये अनुसार होगी। स्थान भाडा नीचे दी गई शर्त 14(क) के अनुसार वसूली योग्य होगा।

2(ख)(एक) बोली की शेष 75 प्रतिशत, राशि क्रेता द्वारा, बोली की मन्जूरी की तारीख से जो वन मण्डलाधिकारी द्वारा उसे लिखित रूप में पंजीयत डाक से संसूचित की जावेगी, 45 दिन के भीतर भुगतान की जावेगी। तथापि अपवादित मामले में वन मण्डलाधिकारी क्रेता द्वारा निवेदन किये जाने पर, बोली की शेष राशि के भुगतान की 45 दिन की अवधि को नीचे दी गई शर्त 2(ख)(दो) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार, ब्याज का भुगतान करने पर 75 दिन तक बढा सकेगा।

बोली की शेष राशि का भुगतान मांग जमा रसीद (Call Deposit Receipt), बैंकर्स चेक, या अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा पर जारी किये रेखित बैंक ड्राफ्ट (Crossed Bank Draft) जो वन मण्डलाधिकारी ..... वन मण्डल के पक्ष में आहरित हो, के द्वारा किया जावेगा।

2(ख)(दो) यदि बोली की शेष राशि का भुगतान मंजूरी की संसूचना की तारीख से 45 दिन के भीतर न किया जाये तो भुगतान न की गई राशि पर छयालिसवें दिन से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से या समय-समय पर पुनरीक्षित दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। ब्याज की गणना के लिये 15 दिन या उससे कम अवधि की गणना आधा महीने तथा 15 दिन से अधिक को पूरा महिना के रूप में की जावेगी।

2(ग)(एक) उपर्युक्त शर्त 2(ख) के अधीन भुगतान योग्य रकम के अलावा मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र. 2 वर्ष 1959) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य विक्रय कर वन विकास उपकर तथा अन्य समस्त करों की वसूली विक्रय मूल्य सहित खरीददार से की जायेगी।

2(ग)(दो) फायनेन्स एक्ट, 1988 की नवीन प्रस्थापित धारा 206 सी एवं 44 ए.सी. के प्रावधानों के अनुसार जो 1 जून, 1988 से प्रभावशील है, खरीददारों से विक्रय मूल्य पर आयकर भी वसूल किया जावेगा।

2(ग)(तीन) उपर्युक्त खण्ड 2(क) तथा (ख) के अधीन देय विक्रय राशि तब तक पूर्णतः भुगतान की गई नही मानी जावेगी। जब तक कि उपर्युक्त उपखण्ड 2(ग)(एक) एवं 2(ग)(दो) के अधीन उस तारीख को देय विक्रय कर तथा आयकर का भी पूर्णतः भुगतान न कर दिया गया हो।

2(ग)(चार) सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, वाद के दायित्वों के लिये भी, यदि कोई हो, उत्तरदायी होगा, जिसमें इन शर्तो के अधीन उसे बेचे गये माल के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा देय विक्रय कर एवं आयकर के

कारण अतिरिक्त राशियों का भुगतान भी शामिल है ऐसा भुगतान वन मंडल अधिकारी द्वारा लिखित में मांग किये जाने के 15 दिन के अन्दर करना पडेगा।

[1]3. " किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से बोली लगाने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित मुख्त्यारानामा, जो पंजीयक या उप पंजीयक कार्यालय से विधिवत् पंजीकृत हो और जिसके द्वारा उसे कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो, या उस फर्म का, जिसका भागीदारी होने का वह दावा करता है, पंजीयक प्रमाण-पत्र वन मंडलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता ।

एक व्यक्ति को मुख्त्यारनामा (Power of Attorney) प्रस्तुत करने पर केवल एक व्यक्ति या फर्म की ओर से नीलामी में बोली लगाने की अनुमति होगी"

4. ऐसा कोई व्यक्ति जो वन ठेकों में बोली बोलने से प्रतिबन्धित या वर्जित किया गया हो ऐसा निषेध प्रभावी रहने के दौरान नीलाम में बोली नहीं लगायेगा।

5. वन मण्डल अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसके तरफ किसी वन ठेके के कारण या उसके अधीन शासन को कोई भी राशि देय हो, नीलाम में बोली नहीं लगायेगा।

6. वन मंडल अधिकारी प्रत्येक लाट के लिये आरक्षित मूल्य नियत कर सकेगा और यदि बोली ऐसे आरक्षित मूल्य से कम की हो तो, किसी भी लाट को नीलाम से अलग कर सकेगा।

7. वन मण्डल अधिकारी पिछली बोली पर प्रत्येक बढती की न्यूनतम राशि नियत कर सकेगा और बोली के दौरान इस प्रकार नियत राशि में समय-समय पर परिवर्तन कर सकेगा। लगाई गई बोलियां के विषय में कोई विवद उत्पन्न होने की स्थिति में पिछली अन्तिम अविवादित बोली से तत्काल पुनः बोली प्रारम्भ की जायेगी।

8. वन मण्डल अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह बिना कोई कारण बताये –

(क) नीलाम की किसी भी अवस्था में किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने से रोक दे ।

(ख) उच्चतम बोली या किसी अन्य बोली को अस्वीकार कर दें।

[1](ग) उच्चतम बोली या किसी अन्य बोली को स्वीकार करने तथा नीलामी की किसी भी अवस्था में किसी प्लाट को नीलाम से अलग कर ले, भले ही बोली में लगाने वाले व्यक्ति उसे क्रय करने के लिये तैयार हों।

9. सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, उसकी बोली के स्वीकृत होने के तत्काल पश्चात् उसके पक्ष में बोली समाप्त किये गये प्लाट के सम्बन्ध में, बोली पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और वन मंडलाधिकारी को लिखित रूप में वह डाक पता भी देगा; जिस पर उसके लिये अभिप्रेत पत्र-व्यवहार किया जा सके। पते में हुआ कोई भी परिवर्तन उसके द्वारा इसी प्रकार उस अधिकारी को संसूचित किया जायेगा। डाक प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अधीन या पंजीकृत डाक द्वारा उस पते पर किया गया कोई पत्र-व्यवहार सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति तक सम्यक् रूप से पहुचा माना जायेगा।

10. वनमण्डलाधिकारी की मंजूरी की शक्ति से अधिक के ठेकों के विक्रय सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी के अध्यधीन होने तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति तब तक अपने बोली में आबद्ध रहेगा जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित न कर दिये जायें।

11. सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति जिसकी बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो; क्रेता होगा।

12. (क) यदि विक्रय मूल्य की शेष राशि 75 प्रतिशत राशि तथा उपर्युक्त शर्त 2(ख) तथा (ग) की अपेक्षानुसार वन विभाग द्वारा देय विक्रय कर एवं आयकर की देय राशि सहित राशि का भुगतान न करने की

स्थिति में विक्रय रद्द कर दिया जायेगा और पहले से ही भुगतान की गई राशि, जो किसी भी स्थिति में स्वीकृत बोली के मूल्य के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी शासन के पक्ष में समपहृत कर ली जावेगी। चूक कर्ताओं का नाम तीन वर्षो के लिये काली सूची में दर्ज कर लिया जायेगा। लाट को चूककर्ता के किसी दायित्व के बिना फिर से नीलाम कर दिया जायेगा।

(ख) यदि पूर्ण विक्रय मूल्य का भुगतान न करने के कारण विक्रय रद्द कर दिया गया हो और ओहदे में अगले उच्चतर प्राधिकारी को इस बात से समाधान हो जाये कि सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति समुचित तथा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगे, विहित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में असमर्थ रहा था, तो ऐसा प्राधिकारी समस्त देय राशियों का पूर्व भुगतान करने एवं विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रर्वतन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा।

13. (क) बेची गई इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/कोयला को हटाने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी, जब कि उसके सम्बन्ध में उपर्युक्त शर्त 2 में दिये अनुसार पूर्ण भुगतान और जहां आवश्यक हो वहां नीचे की शर्त 14 के अधीन भाडा का भुगतान न कर दिया हो। लाट/लाटों को हटाने की अनुमति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नही दी जायेगी और इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/कोयला को ले जाने की अनुमति डिपों के उसी द्वार से की जायेगी, जो इस प्रयोजन के लिये पृथक रूप से निर्धारित होगा, जहां इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला के जांच के लिये और इमारती लकडी निर्गम हथौडे से चिह्ननांकित करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

1. Art (12)(14)26 भारत का संविधान अरूप वि. मुख्य अभियंता, भवन सडक म.प्र. उच्चतम बोली स्वीकार न करना स्वेच्छा चारिता नहीं यदि नीलाम की शर्तो में चूक होने से पुनः नीलाम शासन हित में आदेशित होने से शासन की कार्यवाही मानमानी नहीं है AIR 1989 M.P. 288.

(ख) विक्रय की गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला का परिदान लेते समय क्रेता उसके लिए रसीद देगा।

(ग) डिपो से हटाई जाने वाली समस्त इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला सम्बन्धित डिपो अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी से इस प्रयोजन के लिये प्राप्त किये जाने वाले सम्यक् रूप से विहित परिवहन अनुज्ञा पत्र (परमिट) के अन्तर्गत आयेगी।

(घ) क्रेता डिपो से इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/कोयला को हटाने के दौरान डिपो परिसर के भवन फिक्स्चर्स, तथा फिटिंग्ज, वनोपज अथवा वहां खडे किसी वृक्ष या पौधों को होने वाली हानि या क्षति, यदि कोई हो, को पूरा करने का उत्तरदायी होगा। ऐसी हानि या क्षति का मूल्यांकन जो वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा, अन्तिम होगा और क्रेता पर बंधनकारी होगा।

14. (क) यदि बेची गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला उपर्युक्त शर्त 2(ख)(एक) के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से 2 माह के भीतर डिपो से नहीं हटाया जायेगा तो वन मण्डलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान भाडा वसूल किया जायेगा यथा –

(1) इमारती लकडी - 5/- रूपये प्रतिदिन प्रति घ.मी.
(2) जलाऊ लकडी - 25/- रूपये प्रति स्टेन्डर्ड माप का चट्टा प्रतिमाह
(3) कोयला - 5/- रूपये प्रतिमाह प्रति बोरा

मंजूरी की संसूचना की तारीख से दो महीने की अवधि समाप्ति के उपरान्त स्थान भाडा की संगणना की जावेगी। तथापि अपवादित मामलों में वन मण्डलाधिकारी अपने स्वविवेक से, स्थान भाडे की वसूली किये बिना मंजूरी की सूचना की तारीख से चार माह की अधिकतम अवधि में डिपो से बेची गई इमारती लकडी/जलाऊ

लकडी/कोयला हटाने की अनुमति दे सकेगा, बशर्ते कि लाट की नीलामी के समय ऐसी घोषणा की गई हो और बोली पत्रक पर अभिलिखित की गई हो।

(ख) विक्रय की गई और क्रय की गई समस्त इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/कोयला डिपो से मंजूरी प्रेषण की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर हटा ली जायेगी, तथापि यदि क्रेता जिसने पहले की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है, कतिपय अपरिहार्य कारणों से उपर्युक्त अवधि के भीतर इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला न हटा सके तो उस भाडे का भुगतान करने पर मंजूरी के प्रेषण की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर लकडी हटाने की अनुमति दी जा सकेगी। चार माह की अवधि समाप्त हो जाने पर क्रेता को केवल आपवादिक मामलों में वन संरक्षक (सम्बन्धित) की विशेष अनुमति से ही इमारती लकडी हटाने की अनुमति दी जा सकेगी, जो देय भूमि भाडे के अतिरिक्त न हटाई गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला के विक्रय मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न होने वाली शास्ति आरोपित कर सकेगा। चार माह की अवधि समाप्त हो जाने के बाद या वन संरक्षक (सम्बन्धित) द्वारा बढाई गई अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला यदि न हटा हो तो उसे समपहृत कर लिया जायेगा और नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा और मूल क्रेता को उसके सम्बन्ध में दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

15. वन विभाग विक्रय की गई इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला की किसी भी प्रकार की क्षति व हानि के लिए जो आग और चोरी, दुर्विनियोग या दुर्घटना जैसी किसी भी कारण से हुई हानि के लिये किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नही करेगा। विक्रय क बाद डिपो में रखी इमारती लकडी, जलाऊ लकडी, कोयला पूर्णत: क्रेता की जोखिम पर होगी।

16. (क) व मार्गो पर ट्रक या अन्य भारी वाहनों के चलाने के लिए वनमंडल अधिकारी से निम्नलिखित दरों पर मार्ग अनुज्ञा-पत्र/परमिट/प्राप्त करना होगा –

(एक) 400 रूपये तिमाही, प्रति ट्रक अथवा –
(दो) 20 रूपये प्रति ट्रिप
(ख) तिमाही की अवधि की गणना निम्नानुसार की जायेगी।
(एक) प्रथम तिमाही 1 अप्रैल से 30 जून
(दो) द्वितीय तिमाही 1 जुलाई से 30 सितम्बर
(तीन) तृतीय तिमाही 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर
(चार) चतुर्थ तिमाही 1 जनवरी से 31 मार्च

म.प्र. शासन वन विभाग क्र./डी/2160/1368/2007/10-3 भोपाल दि. 13.6.2007

17. बोली लगाने की कार्यवाही को इन शर्तो की पूर्ण और बिना शर्त स्वीकृति समझा जायेगा। उपबन्ध तथा उनके अधीन बनाये गये नियम जिसमें वन संविदा नियम शमिल है जहां तक कि वे लागू हों, सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/क्रेता पर इस सूचना के अधीन विक्रय की शर्तो के रूप में लागू होंगें।

19. इन शर्तो के अधीन बोली लगाने वाले से, किसी भी कारण से वसूली योग्य राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

20. इन शर्तो के अधीन बेची गई जलाऊ लकडी/जलाऊ लकडी से विनिर्मित कोयले को मध्य प्रदेश राज्य बाहर निर्यात किया जा सकेगा जलाऊ लकडी/कोयले अनुवर्ती क्रेता को भी राज्य के बाहर जलाऊ लकडी/कोयले का निर्यात करने का अधिकार होगा।

(म.प्र. शासन वन विभाग अधिसूचना क्र. 25-23-2008-दस-3 म.प्र. भोपाल दिनांक 2 मार्च 2012)

21. ऐसे किसी भी बोली लगाने वाले व्यक्ति या उसके किसी एजेट या नौकर को, जो नीलामी की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता हो या रोकता हो का नीलामी/विक्रय में भाग लेने से वर्जित किया जा सकेगा और उसके द्वारा किसी लाट के सम्बन्ध में जमा की गई बयाने की राशि यदि कोई हो तो मध्यप्रदेश शासन को समपहृत हो जावेगी। इसके अतिरिक्त उसका नाम तीन वर्ष की अवधि के लिये काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

22. इन शर्तो से उत्पन्न समस्त विवाद मध्य प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे।

नोट – म.प्र. राजपत्र दिनांक 30-06-89 भाग 4(ग) पृष्ठ 81.87 पर प्रकाशित।

अनुसूची

अनु. क्र.	अधिकारों का प्रत्यायोजन	अधिकारी	शर्ते एवं निर्बधन
1.	अधिनियम की धारा 3 के अधीन इकाई गठित करने की शक्ति	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उत्पादन शाखा का प्रभार रखने वाला अधिकारी	इस शक्ति का प्रयोग राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा
2.	अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभिकर्ताओं को नियुक्ति करने की शक्ति	क्षेत्रीय वृत्त का प्रभाव रखने वाला अधिकारी	इस शक्ति का प्रयोग राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से किया जायेगा।
3.	अधिनियम की धारा 8 के अधीन डिपो खोले जाने के अधीन डिपो खोले जाने के निर्देश देने की शक्ति	वन संभाग का प्रभार रखने वाला अधिकारी तथा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र संचालक/ उपसंचालक	-
4.	अधिनियम की धारा 19 के उपधारा (1) के अधीन अपराधों के प्रशासन की शक्ति	क्षेत्रीय वृत्त का प्रभार रखने वाला अधिकारी, क्षेत्रीय वन संभाग का प्रभार रखने वाला अधिकारी, राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र संचालक / उप संचालक.	-

क्र. एफ. 25-23-2008-दस-3 – स्थापित डिपो से इमारती लकडी/जलाऊ लकडी/लकडी के कोयले की नीलामी में विक्रय को विनियममित करने के संबंध में राज्य शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2343-2751-दस-3-89, दिनांक 30 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित नियमों में, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

1. शर्त 2(ग) (एक) में संशोधन – शर्त 2(ग) (एक) में "मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र. दो सन् 1959)" के स्थान पर "मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002 (क्र. बीस सन् 2002) एवं मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006" प्रतिस्थापित किया जाए।
2. नवीन शर्त क्रमांक 20(क) एवं 20(ख) जोडा जाना – उक्त शर्तो में वर्तमान में शर्त क्रमांक 20 के पश्चात् निम्नानुसार नवीन शर्त 20(क) एवं 20(ख) जोडी जावे, अर्थात् –
   "20(क) (।) किसी नीलाम में निर्वर्तित किसी लाट की बोली स्वीकार किये जाने के उपरांत एवं क्रेता द्वारा परिदान आदेश प्राप्त कर क्रय की गई वनोपज का परिवहन कर लिये जाने के पूर्व उस लाट के विषय में युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए उक्त लाट के विक्रय को निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वृत्त के भारसाधक अधिकारी को होगा।

(।।) मुख्य वनसंरक्षक/वृत्त के भारसाधक अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि नीलाम दिनांक से 7 दिवस के भीतर किसी लाट विशेष में पूर्ण नाम एवं पते सहित शिकायत प्राप्त होने पर वह उसका निराकरण (जिसमें लाट निरस्तीकरण, भी सम्मिलित है) शिकायत प्राप्ति के दिनांक से 7 दिवस के भीतर करें।

20(ख) मुख्य वनसंरक्षक/वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा शर्त 20(क) (।) एवं 20(क) (।।) में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप पारित निर्णय के विरूद्ध आदेश दिनांक से 7 दिवस के भीतर अपील प्रधान मुख्य वन संराक्षक कार्यालय में उत्पादन शाखा के भारसाधक अधिकारी को की जा सकेगी, जिसका निराकरण आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में किया जावेगा।"

3. शब्दों का प्रतिस्थापन – नियमों में जहां-जहां शब्द "वन संरक्षक" शब्द आये हों, उसके स्थान पर "मुख्य वन संरक्षक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी" तथा शब्द "वनमंडलाधिकारी" के स्थान पर वन शब्द "वन संरक्षक/वनमंडल के भारसाधक अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाता है।